क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–124/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री ब्रिजू नायक द्वारा एकलसिंगा ग्रेनाइट क्लस्टर खनन परियोजना ग्राम–एकलसिंगा, तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार सेहैः–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटटा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खनिज	उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स श्री ब्रिजू नायक खसरा संख्या 1216/898, 1217/902, 1218/903, 898, 901, 902 एवं 903/1086	35/2019	1.0009	ग्रेनाइट	85210 टीपीए (आर. ओ.एम.)
2	मैसर्स ए.जी. माइन्स और मिनरल्स	24/2018	1.4143	ग्रेनाइट	90000 टीपीए
3	मैसर्स सवाई भोज ग्रेनाइट	31/2018	1.3006	ग्रेनाइट	76049 टीपीए
4	श्री गिरिराज ग्रेनाइट	57/2018	1.5835	ग्रेनाइट	221940 टीपीए
5	श्री सागर शर्मा	119/2018	1.0229	ग्रेनाइट	109707 टीपीए
6	मैसर्स तिरूपति ग्रेनाइट माइन्स	18/2019	1.3848	ग्रेनाइट	60060 टीपीए
7	मैसर्स अरिहंत ग्रेनाइट	22/2019	1.4797	ग्रेनाइट	203212 टीपीए

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.1867 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–846178 टीपीए, ग्राम एकलसिंगा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉं तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री ब्रिजू नायक** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/11102 दिनांक 15.09.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30/10/2021** को **प्रातः 11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तॅवर)
पर्यावरण अभियंता एवं क्षैत्रीय अधिकारी